



Neutral Citation-2026: AHC:20584

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या – 3020 / 2026

ईश्वरदीनयाचिकाकर्ता
बनाम
कमिशनर, प्रयागराज मंडल और 2 अन्यप्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता : अपराजित यादव, श्याम लाल यादव

प्रतिवादियों के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तथापि, यदि निजी पक्ष इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो उन्हें आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 1/कमिशनर, प्रयागराज मंडल, प्रयागराज को यह निर्देश दिया जाए कि वे पुनरीक्षण संख्या 2075/2024 (माया साहू

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बनाम ईश्वरदीन और अन्य) में दायर बहाली आवेदन संख्या C202502000002446 का शीघ्रता से निपटारा करें।

4. यह मामला प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष लंबे समय से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1/कमिशनर, प्रयागराज मंडल, प्रयागराज, उपर्युक्त पुनरीक्षण में दायर बहाली आवेदन का निपटारा कानून के पूर्ण अनुपालन में, अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर करें; बशर्ते कि कोई कानूनी बाधा न हो और अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

29 जनवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"